

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

मि०न० - 186/2022

अनवान : -

1. अनील कुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. मनीष पुत्र सुरेन्द्र जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. शर्मिला पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम


1. कालूराम पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचंद शर्मा व वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एन.टी.आर के खाता सं० 72/72 के मु० न० 17 किला न० 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 18 किला न० 17 ता 25, मु० न० 19 किला न० 1 ता 5, 8 ता 13, मु० न० 20 किला न० 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2 कुल 8.8550है० जिसमें से नहरी 8.6650है० गै०मु० खाला 0.1250है०, गै०मु० रास्ता 0.0650है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 कालूराम के नाम से 738/1771 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से प्रतिवादी सं० 1 कालूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं० 1 अनिल को 369/1771 हिस्सा व वादी सं० 2 मनीष पुत्र सुरेन्द्र व वादी सं० 3 शर्मिला पत्नी सुरेन्द्र को संयुक्त रूप से 369/1771 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/10/22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(शकुंतला चौधरी),
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.



मि०न० - 186 / 2022

अनवान : -

1. अनील कुमार पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
2. मनीष पुत्र सुरेन्द्र जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
3. शर्मिला पत्नी सुरेन्द्र जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री कपूरचंद शर्मा वादी
श्री सुरेन्द्र बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 06/10/22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एन.टी.आर के खाता सं० 72/72 के मु० न० 17 किला न० 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 18 किला न० 17 ता 25, मु० न० 19 किला न० 1 ता 5, 8 ता 13, मु० न० 20 किला न० 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2 कुल 8.8550 है० जिसमें से नहरी 8.6650 है० गै०मु० खाला 0.1250 है०, गै०मु० रास्ता 0.0650 है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 कालूराम के नाम से 738/1771 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित है। वाद भूमि पहले वादी के दादा लालचंद की खातेदारी हुआ करती थी। प्रतिवादी सं० 1 कर्ता खानदान होने के कारण तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं० 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं० 1 ने आपसी सहमती से नामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया।

साक्ष्य वादी में वादी अनील कुमार पुत्र कालूराम के द्वारा साक्ष्य करवाये गये। जिसमें वर्तमान जमाबंदी के साथ साथ पैतृक जमाबंदी व वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र तस्दीक करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया कि मुताबिक राजीनामा वाद वादी डीकी किया जावे जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 1 एन.टी.आर के खाता सं० 72/72 के मु० न० 17 किला न० 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 18 किला न० 17 ता 25, मु० न० 19 किला न० 1 ता 5, 8 ता 13, मु० न० 20 किला न० 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2 कुल 8.8550है० जिसमें से नहरी 8.6650है० गै०मु० खाला 0.1250है०, गै०मु० रास्ता 0.0650है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 कालूराम के नाम से 738/1771 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। जिसमें प्रतिवादी सं० 1 के साथ वादीगण सं० 1 ता 3 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादी सं० 1 अनिल का 369/1771 हिस्सा व वादी सं० 2 मनीष पुत्र सुरेन्द्र व वादी सं० 3 शर्मिला पत्नी सुरेन्द्र को संयुक्त रूप से 369/1771 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डीकी योग्य होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एन.टी.आर के खाता सं० 72/72 के मु० न० 17 किला न० 16/1, 16/2, 17, 18/1, 18/2, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, मु० न० 18 किला न० 17 ता 25, मु० न० 19 किला न० 1 ता 5, 8 ता 13, मु० न० 20 किला न० 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2 कुल 8.8550है० जिसमें से नहरी 8.6650है० गै०मु० खाला 0.1250है०, गै०मु० रास्ता 0.0650है० खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 कालूराम के नाम से 738/1771 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में से प्रतिवादी सं० 1 कालूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं० 1 अनिल का 369/1771 हिस्सा व वादी सं० 2 मनीष पुत्र सुरेन्द्र व वादी सं० 3 शर्मिला पत्नी सुरेन्द्र को संयुक्त रूप से 369/1771 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/10/20... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



(शकुंतला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़